17.02.2026

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/6 के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार आबूरोड के मुकदमा संख्या 01/2020 दिनांक 12.07.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल पत्रावली के साथ नत्थी हो।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर,सिरोही